राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।

पीठासीन प्राधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

अपील सं. 10/2019

उनवान

1. छगनाराम पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. श्रीमती बालीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
3. श्रीमती रतनीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
4. श्रीमती भगवतीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
5. श्रीमती मोहनीदेवी बेवा श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
6. पुनमराम पुत्र श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
7. दुर्गा पुत्री श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
8. मधु पुत्री श्री भवरराम श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर

––अपीलान्ट

बनाम

1. हनीफ पुत्र फते खां जाति मुसलमान निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार

––रेस्पोडेन्टान

उक्त अपील अंतर्गत धारा 23(1) आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.09.2007 सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत।

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री रणजीतसिंह निर्वाण

अप्रार्थी सं0 01 की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री राजेश बैद

अप्रार्थी सं0 02 की ओर से– पैराकराज

निर्णय दिनांक :– 08.10.2025

निर्णय

1. यह उक्त अपील 10/2019 धारा 23(1) आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम मु0 कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 29.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण के दादा व पिता व ससुर श्री कानाराम पुत्र आशाराम जाति नायक के नाम से वाके रोही ग्राम कावनी के खेत खसरा नं0 134 में 168.15 बीघा बारानी भूमि सम्वत् 2012 पूर्व से चली आ रही है जिस पर अपीलान्टगण आज दिनांक तक अपने खेत की बाड करके मौके पर ढाणी बनाकर काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है। जो कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना व लिपीकिय भूलवंश सम्वत् 2029 से 32 में आराजी राज दर्ज कर दी गई जिसके विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. एवं 136

एल.आर.एक्ट के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें दिनांक 02.04.2012 से अन्य आदेश तक रिकार्ड कि स्थिति यथावत रखने का आदेश जारी है। अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि में से अर्थात् ग्राम कावनी के खेत खसरा नं0 134 में 168.15 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि का रेस्पो0 संख्या 01 को बतौर आरजी काश्त के आवंटन फरमाया गया। जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके का ज्ञान किये बिना आदेश अधिनस्थ न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल की है अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व न्याय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन दिनांक से आज तक रेस्पो0 सं0 1 का आराजी जैर बहस कभी कोई किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका का ध्यान किये बिना आराजी जैर बहस को टी.सी. से पुख्ता आवंटन कर भारी विधिक भूल की है। रेस्पो0 सं0 1 को आवंटित भूमि अपीलान्टगण कि पुश्तैनी भूमि है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना लिपीकिय भूल वंश सम्वत् 2029–32 में आराजी राज दर्ज कर दी गई थी जिसके विरूद्ध न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर में वाद जैरकार है तथा अराजी जैर बहस मुलतय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कि भूमि है जिसमें किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आवंटन नहीं किया जा सकता फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून न्याय व नैसगिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत जाकर आदेश अधि0 न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल है।

3. वकील अपीलांट ने अपील मीमों के बिन्दुओं को ही अपनी बहस बताया।
4. वकील रेस्पोडेन्ट ने पूर्व में प्रेषित प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को ही अपनी लिखित बहस बताते हुए कथन किया कि उक्त अपील में अपीलान्ट को किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। क्योंकि अपीलान्ट जिस भूमि को अपनी होना बता रहा है। वह प्रार्थी को पुख्ता आवंटन शुदा भूमि है। केवल मात्र दावा कर देने के आधार पर अपीलान्ट को लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होती है, ना ही अपीलान्ट का वादगत भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त है। इस कारण भी अपीलान्ट व्यथित पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अपील में अपीलान्ट ने केवल प्रार्थी को ही पक्षकार बनाया है। जबकि अपीलान्ट ने वादगत भूमि अब्दुल रसीद पुत्र हाजी हसन अली जाति मुसलमान सैयद तेली निवासी मौहल्ला तेलियान फड़बाजार बीकानेर को विक्रय कर दी तथा क्रेता के नाम नामान्तरण संख्या 700 दिनांक 13.03.2012 से दर्ज हो चुका है। इस प्रकार प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार को आवश्यक पक्षकार होते हुए पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की गई है जो पक्षकारों के असंयोजन के कारण संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि अपील पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत् 2014 में खसरा 134 तादादी 168.15 बीघा भूमि काना वल्द आशा कौम थोरी साकिन देह काश्तकार के नाम दर्ज होना है। जमाबन्दी की छायाप्रति पत्रावली के सलंग्न है। आराजीराज भूमि ग्राम कावनी के खेत खसरा नं0 134/3 में 25 बीघा भूमि का रेस्पो0 संख्या 01 को बतौर टी.सी. आवंटन फरमाया गया। उक्त टी.सी. आवंटन को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को टी.सी. आवंटन से पुख्ता आवंटन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 26.03.2021 को प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका जवाब वकील अपीलांट द्वारा पेश किया गया तथा अंतिम बहस हेतु मौखिक रूप से अपील मीमों को ही अपनी बहस बताया। जिस कारण प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण भी अंतिम निर्णय

में किया जा रहा है। प्रकरण में जहाँ तक मियाद का प्रश्न है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपील में अपीलांट के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर तथ्य सामने आया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों का मौके पर आने से हुई तथा अपीलांट ने अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2 में लिखा है कि उक्त विवादित भूमि का एक वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के समक्ष कर रखा है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2012 से अन्य आदेश तक रिकार्ड कि स्थिति यथावत रखने का आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के दौरान उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को वर्ष 2012 में होने के बावजूद उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 14.10.2019 को मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के बावजूद देरी के कारण स्पष्ट रूप से सही प्रकट नहीं किए जिस कारण उक्त अपील मियाद बाहर शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण अपील अपीलांट अस्वीकार कर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। यह निर्णय आज दिनांक 08.10 .....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर